भारत में आरक्षण नीति

संदर्भ : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षण संविधान का उल्लंघन है।

आरक्षण क्या है?

- भारत में आरक्षण नीति शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों और विधायी निकायों में सीटों या पदों का प्रतिशत आरक्षित करती है।
- यह ऐतिहासिक रूप से वंचित और सीमांत समुदायों को सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- नीति का उद्देश्य इन समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक नुकसान को दूर करना है।
- भारत के संविधान में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण के प्रावधान शामिल हैं।
- आरक्षण भारतीय समाज में समानता, सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देता है।

भारत में आरक्षण का विकास और वर्तमान परिदृश्य

- **स्वतंत्रता-पूर्व युग:** ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार जैसे उपायों के माध्यम से आरक्षण की शुरुआत की।
- **भारत का संविधान:** 1950 में अपनाए गए भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए विधानसभाओं और नौकरियों में आरक्षण शामिल था।
- **मंडल आयोग:** 1980 में स्थापित, इस आयोग ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की।
- **मंडल आयोग कार्यान्वयन:** 1990 में, OBC आरक्षण पेश किया गया, जिसके कारण विरोध और बहस हुई।
- **तमिलनाडु का मामला:** 1990 में, तमिलनाडु में आरक्षण को 69% तक ले जाया गया और 1993 में इसे लागू करने वाले एक विधेयक को 9वींअनुसूची में जोड़ा गया।
- **अनुवर्ती विस्तार: 103वें** संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण बढ़ाया गया ।
- **सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश:** सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और निष्पक्ष कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए हैं।
- **मणिपुर हिंसा (2023):** मणिपुर में हिंसा हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद हुई है कि सरकार मेइती को ST का दर्जा दिए जाने की संभावना पर विचार कर सकती है।

आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान

- संविधान का **भाग XVI** केंद्रीय और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 15(4) और 16(4)** राज्य और केंद्र सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाता है।
- संविधान (77वें संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया था, ताकि **अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (4ए) जोड़ा जा सके,** जिससे पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति मिल सके।
- संविधान (85वां संशोधन) अधिनियम, 2001 ने आरक्षण के माध्यम से पदोन्नत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए **खंड (4ए) को संशोधित किया।**
- संवैधानिक 81वें संशोधन अधिनियम, 2000 ने **अनुच्छेद 16(4बी) को पेश किया,** जिससे राज्यों को पचास प्रतिशत आरक्षण सीमा को दरकिनार करते हुए अगले वर्ष में खाली आरक्षित रिक्तियों को भरने की अनुमति मिली।
- **अनुच्छेद 330 और 332** क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।
- **अनुच्छेद 243D** प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है।
- **अनुच्छेद 243T** हर नगरपालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है।
- **अनुच्छेद 335 में** कहा गया है कि प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार किया जाना चाहिए।

आरक्षण की न्यायिक जांच

- **मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चम्पकम् दोरायराजन (1951)** मामले ने संविधान में पहला संशोधन किया और अनुच्छेद 15 में आरक्षण प्रावधानों की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला।
- **इंद्र साहनी बनाम भारत संघ (1992)** मामले ने अनुच्छेद 16(4) के दायरे की जांच की और क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभों से बाहर करने की अवधारणा पेश की।
- **भारत संघ (2006)** मामले ने पिछड़ेपन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने सहित आरक्षण नीतियों के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं को रेखांकित किया।
- **जरनैल सिंह बनाम लछमी नारायण गुप्ता (2018)** मामले ने पदोन्नति में एससी/एसटी आरक्षण लाभ से क्रीमी लेयर को बाहर करने की पुष्टि की।
- मई 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के लिए परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देने वाले कर्नाटक कानून को बरकरार रखा।

कणिका पदार्थ प्रदूषण

संदर्भ : सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की एक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के शहरों में कणीय प्रदूषण बढ़ रहा है।

कणिका पदार्थ क्या है?

PM का मतलब पार्टिकुलेट मैटर (जिसे कण प्रदूषण भी कहा जाता है) हवा में पाए जाने वाले ठोस कणों और तरल बूंदों के मिश्रण के लिए शब्द है। कुछ कण, जैसे धूल, गंदगी, कालिख, या धुआं, इतने बड़े या काले होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। अन्य इतने छोटे हैं कि उन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करके ही पता लगाया जा सकता है।

कण प्रदूषण में शामिल हैं:

- **पीएम $_{10}$:** सांस लेने योग्य कण, जिनका व्यास आम तौर पर 10 माइक्रोमीटर और छोटा होता है; और
- **पीएम $_{2.5}$:** सूक्ष्म रूप से सूंघने योग्य कण, जिनका व्यास आमतौर पर 2.5 माइक्रोमीटर और छोटा होता है।
  - **माइक्रोमीटर कितना छोटा होता है ?** औसत मानव बाल लगभग 70 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं - जो इसे सबसे बड़े महीन कण(PM2.5) से 30 गुना बड़ा बनाते हैं।

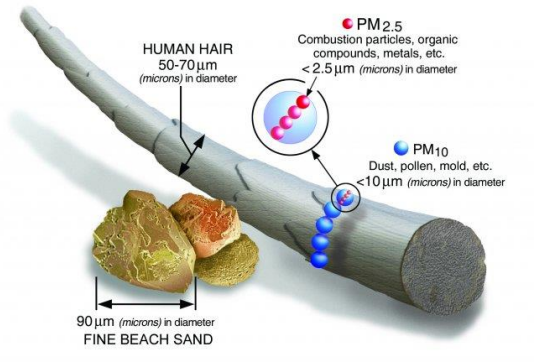

कण प्रदूषण के स्रोत (PM2.5 और PM10)

- **बाहरी स्रोत:**
  - वाहन (कारों, ट्रकों, बसों, ऑफ-रोड वाहनों से उत्सर्जन)
  - दहन (लकड़ी, ताप तेल, कोयला जैसे ईंधन का जलना)
  - औद्योगिक उत्सर्जन
  - निर्माण और विध्वंस गतिविधियाँ
  - कच्ची सड़कों से धूल
  - कृषि गतिविधियाँ (जुताई , कटाई आदि से निकलने वाली धूल)
  - प्राकृतिक स्रोत (हवा में उड़ने वाली धूल, जंगल की आग)
- **आंतरिक स्रोत:**
  - तंबाकू का धुआं
  - खाना पकाने की गतिविधियाँ
  - खाना पकाने और गर्म करने के लिए ठोस ईंधन का उपयोग
  - मोमबत्ती या तेल के दीये जलाना
  - फायरप्लेस और ईंधन जलाने वाले स्पेस हीटर
  - इनडोर गतिविधियों और साज-सज्जा से धूल

Recommended AQG Levels

Pollutant	Averaging time	Interim target				AQG level
		1	2	3	4	
$PM_{2.5}$, µg/m³	Annual	35	25	15	10	5
	24-hour*	75	50	37.5	25	15
PM_{10}, µg/m³	Annual	70	50	30	20	15
	24-hour*	150	100	75	50	45

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP):

- जनवरी 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा लॉन्च किया गया।
- समयबद्ध कमी लक्ष्य के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा विकसित करना है।
- तुलना के लिए आधार वर्ष के रूप में 2017 के साथ, अगले पांच वर्षों में PM10 और PM2.5 कणों की एकाग्रता को कम से कम 20% कम करने का प्रयास करता है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा पहचाने गए 132 गैर-प्राप्ति वाले शहरों को कवर करता है।
- गैर-प्राप्ति वाले शहर वे हैं जो पांच वर्षों से अधिक समय से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा नहीं करते हैं।
- **NAAQS में विभिन्न प्रदूषकों के मानक शामिल हैं:**
  - PM10 (10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले पार्टिकुलेट मैटर)
  - PM2.5 (2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण)
  - SO_2 (सल्फर डाइऑक्साइड)
  - NO_2 (नाइट्रोजन डाइऑक्साइड)
  - CO (कार्बन मोनोऑक्साइड)
  - NH_3 (अमोनिया)
  - ओजोन
  - सीसा
  - बेंजीन
  - बेंजो-पाइरीन
  - आर्सेनिक
  - निकल

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए अन्य पहलें

- **SAFAR पोर्टल:** प्रदूषकों की निगरानी के लिए वास्तविक समय की वायु गुणवत्ता की जानकारी और मौसम का पूर्वानुमान।
- **श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) (दिल्ली के लिए)**
- **बीएस-VI वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन और सम-विषम** नीति सहित प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय।
- नया **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग :** राष्ट्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समन्वित प्रयास।
- **टर्बो हैप्पी सीडर (THS) मशीन के लिए सब्सिडी** : किसानों को पराली जलाने में कमी लाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP):** SO2, NO2, PM10 और PM2.5 प्रदूषकों की नियमित निगरानी।

पावर एक्सचेंजों का युग्मन

संदर्भ: विद्युत मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण (CERC) को भारत में कई बिजली एक्सचेंजों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।

- कपलिंग का उद्देश्य ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ऊर्जा की कीमत की खोज में एकरूपता सुनिश्चित करना है।
- वर्तमान में, **भारत में तीन पावर एक्सचेंज हैं** : इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज (IEX), पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (PXIL) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज (HPX)।
- युग्मन के बाद, बिजली की कीमत सभी एक्सचेंजों में एक समान होगी।
- मार्केट युग्मन को लागू करने के निर्णय से सेवा स्तरों में सुधार, पारदर्शिता में वृद्धि और बेहतर मूल्य खोज की सुविधा की उम्मीद है।
- भारत के मामले में बाज़ार युग्मन लागू नहीं है क्योंकि देश पहले से ही एक स्वैच्छिक बाजार ढांचे के साथ काम करता है जहां सभी एक्सचेंजों के पास समान अवसर हैं।
- सरकार ने CERC से मार्केट युग्मन के लिए परामर्श और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है।
- प्रक्रिया के दौरान वर्तमान बाजार ढांचे में युग्मन के उद्देश्य और आवश्यकता की जांच की जाएगी।

\एक्सचेंजों का युग्मन क्या है?

- पावर एक्सचेंजों के युग्मन में एक एकीकृत प्रणाली में कई पावर एक्सचेंजों को एकीकृत करना शामिल है।
- इसका उद्देश्य विभिन्न एक्सचेंजों में मूल्य निर्धारण और बिजली के व्यापार में एकरूपता सुनिश्चित करना है।
- यह प्रक्रिया सभी एकीकृत एक्सचेंजों में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच बिजली के निर्बाध व्यापार को सक्षम बनाती है।
- युग्मन मूल्य खोज के लिए एक सामान्य मंच स्थापित करके बाजार में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है।
- यह एक्सचेंजों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है और बेहतर बाजार गतिशीलता की सुविधा प्रदान करता है।

- युग्मन बिजली व्यापार में मूल्य असमानताओं और विसंगतियों को खत्म करने में मदद करता है।
- इसका उद्देश्य बिजली के लिए अधिक मजबूत और एकीकृत बाजार तैयार करना है, जिससे खरीदार और विक्रेता दोनों लाभान्वित हों।
- एक्सचेंजों को जोड़ने से, कीमतों की तुलना करना और बाजार सहभागियों के लिए सूचित निर्णय लेना आसान हो जाता है।
- कपलिंग से संसाधनों का अधिक कुशल आवंटन और बिजली दरों में कमी हो सकती है।

केंद्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण (CERC)

- CERC विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 76 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- इसके कई अनिवार्य कार्य हैं, जिनमें केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना शामिल है।
- CERC बिजली के अंतर-राज्य संचरण को भी नियंत्रित करता है और ऐसे प्रसारण के लिए शुल्क निर्धारित करता है।
- आयोग अंतर-राज्य संचालन में पारेषण और बिजली व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करता है।
- यह उत्पादन कंपनियों और पारेषण लाइसेंसधारियों से संबंधित विवादों का निर्णय करता है, और विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति रखता है।
- CERC राष्ट्रीय बिजली नीति और टैरिफ नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह बिजली उद्योग में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और निवेश को बढ़ावा देता है।
- आयोग के पास शुल्क लगाने, ग्रिड मानकों को निर्दिष्ट करने और लाइसेंसधारियों के लिए गुणवत्ता मानकों को लागू करने का अधिकार है।
- इसके अतिरिक्त, यह विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सौंपे गए अन्य कार्यों को भी करता है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

सुपरसोनिक ब्रह्मोस

संदर्भ: सुपरसोनिक ब्रह्मोस, जिसे भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित किया गया है, इसकी स्थापना के **25** साल और इसके पहले सुपरसोनिक लॉन्च के **22** साल पूरे हो गए हैं।

सुपरसोनिक ब्रह्मोस:

सुपरसोनिक ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को संदर्भित करता है जो भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो अपनी उच्च गति और सटीक मारक क्षमताओं के लिए जानी जाती है। "ब्रह्मोस" नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्क्वा नदियों से लिया गया है, जो दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है।

सुपरसोनिक क्षमता:

ब्रह्मोस मिसाइल की सुपरसोनिक गति और सटीक मारक क्षमता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। मैक **2.8** की गति से यात्रा करने की इसकी क्षमता इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक बनाती है।

बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलता:

ब्रह्मोस मिसाइल की बहुमुखी प्रतिभा और विविध परिनियोजन क्षमताओं ने भूमि, समुद्र, वायु और पनडुब्बियों सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर भारत के परिचालन विकल्पों का विस्तार किया है। इस अनुकूलता ने भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है जो विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत हथियार प्रणालियों के विकास और क्षेत्ररक्षण में सक्षम है।

यूनिवर्सल सुपरसोनिक मिसाइल:

ब्रह्मोस को एक सार्वभौमिक सुपरसोनिक मिसाइल के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी लंबवत या क्षैतिज रूप से लॉन्च करने की क्षमता है, जो इसे विभिन्न लॉन्च प्लेटफॉर्म के लिए उपयुक्त बनाती है।

G20 SAI शिखर सम्मेलन

संदर्भ:हाल ही में, यह घोषणा की गई कि तीन दिवसीय सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस-**20 (SAI20)** समिट **12** से **14** जून **2023** तक गोवा में होगा।

G20 SAI शिखर सम्मेलन:

SAI20 शिखर सम्मेलन भारत के **G20** प्रेसीडेंसी, "वसुधैव कुटुम्बकम" के मार्गदर्शक दर्शन के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसका अर्थ है "एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य।"

G20 SAI समिट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस **-20 (SAI20)** एंगेजमेंट ग्रुप के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संदर्भित करता है, जो **G20** ढांचे का एक हिस्सा है। **G20** (ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी) एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं तथा साथ ही, विकसित और विकासशील दोनों देश भी शामिल हैं।

उद्देश्य:

G20 SAI शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और शासन में जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए **SAI** के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। यह लेखापरीक्षा, शासन और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

भूमिका और जिम्मेदारियां:

SAI20 एंगेजमेंट ग्रुप शासन में जवाबदेही को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकारों के साथ रणनीतिक साझेदारी में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा करेगा तथा स्थापित करेगा।

अध्यक्ष:

SAI20 एंगेजमेंट ग्रुप के अध्यक्ष भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक **(C&AG),** श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)

संदर्भ: हाल ही में, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (**GeM**) 12 जून से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रेता-विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन करने जा रहा है।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM):

GeM एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सरकारी संस्थाओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक-स्टॉप समाधान प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म भौतिक कागजी कार्रवाई और मैन्युअल प्रक्रियाओं की आवश्यकता को समाप्त करता है।

उद्देश्य: कार्यशालाओं का उद्देश्य राज्य में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच **GeM** की कार्यक्षमता की समझ को बढ़ाना है, साथ ही प्रश्नों और चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

जिम्मेदार विभाग:

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विशेष रूप से वाणिज्य विभाग, भारत में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (**GeM**) के संचालन के लिए जिम्मेदार है।

GeM **पर उपलब्ध उत्पाद और सेवाएं:**

उत्पाद:

- **कार्यालय सामग्री:** स्टेशनरी आइटम, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर, आदि।
- **आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स:** कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर आदि।
- **वाहन:** कार, मोटरसाइकिल, साइकिल आदि।
- **चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा:** दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्पताल की आपूर्ति, आदि।
- **निर्माण और निर्माण सामग्री:** सीमेंट, ईंटें, पाइप, बिजली के उपकरण, आदि।
- **फर्नीचर और सामान:** कुर्सियाँ, मेज, बिस्तर, गद्दे, पर्दे आदि।
- **सुरक्षा और संरक्षा:** सीसीटीवी कैमरे, अग्नि सुरक्षा उपकरण, अलार्म, ताले आदि।
- **परिधान और वर्दी:** कपड़े, वर्दी, जूते, सामान, आदि।
- **खेल और स्वास्थ्य:** खेल उपकरण, जिम उपकरण, फिटनेस सहायक उपकरण इत्यादि।

सेवाएं:

- **परिवहन और रसद:** माल, कूरियर, परिवहन सेवाएं, भंडारण, आदि।
- **व्यावसायिक सेवाएँ:** कानूनी, लेखा, परामर्श, लेखा परीक्षा, प्रशिक्षण, आदि।
- **आईटी और दूरसंचार सेवाएं:** सॉफ्टवेयर विकास, वेबसाइट डिजाइन, नेटवर्क सेवाएं आदि।
- **विज्ञापन और मीडिया सेवाएं:** प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, विज्ञापन एजेंसियां आदि।
- **सुविधा प्रबंधन सेवाएं:** सफाई, रखरखाव, हाउसकीपिंग, सुरक्षा सेवाएं आदि।
- **मुद्रण और प्रकाशन सेवाएँ:** मुद्रण, प्रकाशन, ग्राफिक डिज़ाइन, आदि।
- **इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज:** इवेंट प्लानिंग, आयोजन, खानपान आदि।
- **अनुसंधान और विकास सेवाएं:** वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी अध्ययन, विश्लेषण आदि।
- **स्वास्थ्य सेवा:** चिकित्सा परामर्श, नैदानिक सेवाएं, टेलीमेडिसिन, आदि।

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)

संदर्भ: हाल ही में, तीन राज्यों, अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने एक नए प्रकार के ट्रांसजेनिक कपास बीज का परीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) द्वारा अनुमोदित एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

स्थापना और कानूनी ढांचा:

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) एक वैधानिक समिति है। इसे "खतरनाक सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग/आयात/निर्यात और भंडारण के नियमों (नियम, 1989) के तहत स्थापित किया गया था।" ये नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए थे।

मंत्रालय जिसके तहत जीईएसी कार्य करता है:

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत काम करता है।

नाम परिवर्तन:

समिति को शुरू में जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के रूप में जाना जाता था और बाद में वर्ष 2010 में इसका नाम बदलकर जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति कर दिया गया था।

कार्य और जिम्मेदारियां:

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रयोगात्मक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों और उत्पादों की रिहाई से संबंधित प्रस्तावों का आकलन करता है।

रचना: इसकी अध्यक्षता MoEF&CC के विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव द्वारा की जाती है और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के एक प्रतिनिधि द्वारा सह-अध्यक्षता की जाती है। वर्तमान में, इसमें 24 सदस्य शामिल हैं जो संबंधित क्षेत्रों में आवेदनों की समीक्षा करने के लिए मासिक मिलते हैं।